Gram : SAHAYA SADAN PATNA

Phone : 0612-2233868
0612-2233603
Fax No. : 0612-2231826

SAHAYA PROPERTIES & INVESTMENTS (P.) LTD.

(REGISTERED OFFICE SAHAYA BHAWAN, MUZAFFARPUR)

SAHAYA SADAN, BAILEY ROAD, PATNA

Ref No. ....   Date ....

सेवा में,

श्री मनीष कुमार वर्मा, भा0 प्र0 से0
जिला समाहर्ता
पटना समाहरणालय, पटना–800001

विषय:– पटना के बेली रोड स्थित खासमहाल प्लॉट संख्या 29 एवं 30 के लीज होल्ड भूमि के प्रयोजन परिवर्तन की शर्त राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 2006 में ही निर्धारित कर राज्यादेश निर्गत किये जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा पिछले आठ साल से अड़ंगा लगाकर सरकारी शर्त के अनुसार सलामी की राशि की गणना नही कर उसे उलझाने हेतु राज्य सरकार से अनावश्यक पत्राचार करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक पी0 39/14 दिनांक 17.02.2014 तथा स्मार पत्रांक पी0 40/14 दिनांक 26.03.2014 एवं पत्रांक पी0 41/14 दिनांक 21.06.2014 का कृपया प्रसंग किया जाय, जिसके द्वारा आपके ज्ञापांक 413/रा0 दिनांक 05.02.2014 की प्रथम कंडिका में उल्लेखित निदेश के आलोक में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 6 खा0 म0 पटना–58/2006/1864(6)रा0 दिनांक 21.11.2006 में यथा निर्धारित सरकारी शर्त के अनुसार रू0 2,30,000/–(दो लाख तीस हजार रूपये) प्रति डिसमिल की दर से प्रयोजन परिवर्तन की जानेवाली लीज होल्ड भूमि का मूल्य आंकलित कर उसमें से मूल लीज के समय जमा कराई गई सलामी की राशि को घटाकर शेष राशि का 50 प्रतिशत राशि पटना कोषागार में जमा करने हेतु लेखा शीर्ष संसूचित करने के लिये आग्रह किया गया था। किन्तु समाहरणालय द्वारा सरकारी शर्त के अनुसार सलामी की राशि की गणना नहीं कर अड़ंगा लगाने के उद्येश्य से कट–ऑफ डेट (Cut of date) का बहाना कर सरकार से अनावश्यक पत्राचार किया जा रहा है, जो निहायत आपत्तिजनक है। कारण–

(1) राज्य सरकार के स्तर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 6 खा0म0 पटना–58/2006/1864(6) रा0 दिनांक 21.11.2006 की कंडिका–1 में स्पष्ट रूप से शर्त निर्धारित करते हुए सलामी की राशि रू0 2,30,000/–(दो लाख तीस हजार रूपये) प्रति डिसमिल निर्धारित की जा चुकी है। यह बात अलग है कि समाहरणालय द्वारा सरकारी शर्त के अनुसार सलामी की गणना नहीं कर पिछले आठ वर्षो से सरकारी शर्त को उलटवाने हेतु तरह–तरह के कुप्रयास किये जा रहे है। अब जब जिला प्रशासन अपने सब कुप्रयास में विफल हो गया है तो "कट आफ डेट" का एक नया शिगूफा छोड़कर मामले को अंटकाने का प्रयास कर रहा है।

(2) समाहरणालय के ज्ञापांक 413 दिनांक 05.02.2014 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट रूप से संसूचित किया गया है कि "सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि बिहार खास महाल नीति, 2011 की कंडिका 9(क) का प्रावधान प्रासंगिक मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि व्यवसायिक

AYA SADAN PATNA

Phone : 0612-2233868
0612-2233603
Fax No. : 0612-2231826

SAHAYA PROPERTIES & INVESTMENTS (P.) LTD.

(REGISTERED OFFICE SAHAYA BHAWAN, MUZAFFARPUR)

SAHAYA SADAN, BAILEY ROAD, PATNA - 1

Ref No. .....

Date .....

प्रयोजन हेतु विभागीय स्वीकृति वर्ष 2006 में ही प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रयोजन परिवर्तन हेतु स्वीकृति आदेश में वर्णित शर्तों के साथ दी गई विभागीय पत्रांक 1025(6)रा0 दिनांक 29.10.2012 के द्वारा विभाग स्तर से ही निदेश प्राप्त है कि पूर्व में लम्बित मामलों में लीज विशेष के सम्बन्ध में निर्गत राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों के तहत अग्रेत्तर कारवाई की जाय। "फिर इस मामले में" बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका 9(क) के लागू होने सम्बन्धी बात को मद्येनजर रखकर "कट आफ डेट" (Cut of date) की मांग करना तो बिलकुल बेमानी है। यह तो मामले को उलझाकर रखने का एक बहाना है।

(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सम्बोधित अपने पत्रांक 10–224/07–1023 रा0 दिनांक 14.03.2014 की कंडिका–2 में आपने यह स्पष्ट अंकित किया है कि "इस सम्बन्ध में सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य लिया गया था। उनके द्वारा परामर्श दिया गया कि एकरारनामा करने के समय जो दर प्रभावी हो, उस दर पर सलामी की गणना की जाय।"

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक मामले में एकरारनामा दिनांक 28.06.2006 को सम्पन्न हुआ था तथा सरकारी स्वीकृति एवं शर्त का निर्धारण दिनांक 21.11.2006 को हुआ। कथित परिस्थिति में सरकारी स्वीकृति में अंकित शर्त में नियत दर को आपके स्तर से प्रश्नगत करने का प्रयास उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसा कर मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है जो विलकुल विधि सम्मत नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्वाग्रह त्यागकर राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रासंगिक मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 6 खा0म0 पटना 58/2006–1864(6)रा0 दिनांक 21.11.2006 की कंडिका–1 में यथा निर्धारित शर्त के अनुसार रू0 2,30,000 (दो लाख तीस हजार रूपये) प्रति डिसमिल की दर से प्रयोजन की जानेवाली लीज होल्ड भूमि का मूल्य आंकलित कर उसमें से मूल लीज के समय जमा कराई गई सलामी की राशि को घटाकर शेष राशि का 50 प्रतिशत राशि पटना जिला कोषागार में जमा करने हेतु लेखा शीर्ष संसूचित करने की कृपा की जाय, ताकि उसे सरकारी कोषागार में जमा कराया जा सके। इस मामले में आठ वर्षों का अनावश्यक विलम्ब समाहरणालय के स्तर पर हो चुका है अब और विलम्ब किसी भी स्थिति में उचित नही ठहराया जा सकता। जिला के शीर्ष पदाधिकारी के नाते प्रासंगिक मामले में आपका तत्वरित ध्यान अपेक्षित है।

ससम्मान!

विश्वासभाजन,

(आर0 एन0 सहाय)
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक P-44/2014 दिनांक 23.07.2014

प्रतिलिपिः— औद्योगिक विकास आयुक्त, उद्योग विभाग बिहार, पटना/विकास आयुक्त योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना/मुख्य सचिव बिहार, पटना को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक पी–41/14 दिनांक 21.06.2014 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

R Sahaya

(आर0 एन0 सहाय)
प्रबंध निदेशक